कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य / मा–स / 22426 / तम्बाकू(6) / वो–2 / 2022/21 दिनांक : 04/01/23

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा ।

विषय :– दिनांक:08.12.22 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में दिये गए निर्देशों के सन्दर्भ में।

प्रसंग :– उपशासन सचिव गृह (ग्रुप–6) की अ.शाटीप : प.35(6)गृह–9 / 2021 जयपुर दिनांक : 21.12.2022

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक अ.शाटीप की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में दिये गए निर्देशों के अनुसार अवैध मादक पदार्थ सेवन करने वाले युवाओं / विद्यार्थियों में अवैध मादक पदार्थों के विरूद्ध चेतना के प्रयास किये जाने के साथ–साथ ऐसे युवाओं / विद्यार्थियों को चिन्हित कर इसकी जानकारी उनके परिजनों तक पहुंचायी जाए।

उक्त क्रम में लेख है कि क्षेत्राधिकार के समस्त विद्यालयों में अवैध मादक पदार्थों के विरूद्ध चेतना जागृत करने हेतु शीतकालीन अवकाश के पश्चात विद्यालय खुलने पर प्रथम दिवस को प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों को जागरूक करने हेतु मादक पदार्थो के सेवन करने से उनके जीवन में पड़ने वाले विपरीत प्रभावों के बारे में चर्चा की जाए एवं समय–समय पर बस्ता मुक्त दिवस पर होने वाली बालसभाओं में मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों बाबत् विभिन्न कार्यक्रम यथा–वाद–विवाद, निबन्ध इत्यादि प्रतियोगिताएं की जाएं। संस्था प्रधानों को यह भी निर्देशित किया जाए की यदि उन्हें ज्ञात होता है कि कोई विद्यार्थी किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ सेवन करता है तो उन्हें चिन्हित कर उनके साथ संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करते हुए उसे समझाया जाए एवं पूर्ण संवेदनशीलता बरतते हुए इसकी जानकारी उनके परिजनों को दी जाए।

Rajasthan Education Department

(गौरव अग्रवाल)
आइ.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेद

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सचिव, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
4. सयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप–6) विभाग, जयपुर।
5. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, जयपुर।
6. उपशासन सचिव गृह (ग्रुप–9) विभाग, जयपुर।
7. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को प्रेषित कर लेख है कि वे अपने क्षेत्राधीन जिलों में प्रभावी प्रबोधन करते हुए आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करेंगे।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक / प्रारम्भिक।
9. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
10. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
11. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड हेतु।
12. समस्त PEEO/UCEEO/ समस्त राजकीय / निजी संस्थाप्रधान।
13. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर